



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर



प्र०क० निग० जिला जबलपुर
 क्रमांक - २८०७/२०१८/जबलपुर) अ०२,

सुखलाल कुसरे उम्र ५५ वर्ष पिता श्री सुदंरसिंह कुसरे
 जाति गौड़, पेशा नौकरी
 निवासी २४३७ भारत कालोनी
 शिमल हिल्स मदनमहल
 ' प्रेमनगर, जबलपुर

----- आवेदक

विरुद्ध

श्री चौधुरी यवेनीवाला -
 हारा आज दि ०७.५.१८ को
 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क है
 दिनांक २८.५.१८ नियत।

कानूनी विवाह कोहे १४
 राजस्व मण्डल, ए.प्र. ग्वालियर

- सिद्धार्थ कुमार खरे पिता स्व० जी०डी० खरे
 निवासी जी-११, रौनिक सोसायटी,
 शक्ति नगर जबलपुर
 तात्या जी हूमने पिता श्री देवी जी हूमने
 निवासी २४८९, उखरी रोड
 स्टेट बैंक कालोनी, जबलपुर
 ३- अशोक रामचंद्र रामटेके पिता रामचंद्र रामटेके
 निवासी २४९० उखरी रोड,
 स्टेट बैंक कालोनी, जबलपुर

----- अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक
१८/अ-२१/२०१७-१८ में पारित आदेश दिनांक
६-१२-१७ के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता,
१९५९ की धारा ५० के तहत निगरानी.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है -

सुखलाल कुसरे विरुद्ध 1-सिद्धार्थ कुमार खरे एवं अन्य

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी/2807/2018/जबलपुर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
११.७.१९	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्र०क्र० 18/अ-21/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 6-12-18 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति का है। कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा यह मानते हुए कि पक्षकारों को प्रकरण चलनशीलता में रुचि नहीं है प्रकरण दिनांक 24-7-17 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया बाद में अदम पैरवी में पारित आदेश को निरस्त करने प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन आलोच्य आदेश दिनांक 6-2-18 द्वारा निरस्त किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों एवं प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधारों पर न करते हुए गुणदोषों पर किया जाये। अतः प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है।</p> <p>3/ प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण भूमि के विक्रय की अनुमति से संबंधित है, जो आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के</p>	

सुखलाल कुसरे विरुद्ध 1-सिद्धार्थ कुमार खरे एवं अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। प्रस्तुत आवेदन में आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम चरगवां पटवारी हल्का नं० 37 (हरई) रा०नि०मं० बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं० 35/2 रकबा 0.800 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य/अनावेदकगण को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट होता है विक्रय हेतु आवेदित भूमि आवेदक की पैत्रिक भूमि है शासन से प्राप्त भूमि नहीं है। चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी गई है। आवेदक शासकीय सेवक है तथा उसके अनुसार उसे 67000/- प्रतिमाह मासिक वेतन प्राप्त हो रहा है एवं उसके पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त तहसील लखनादौन में 5.425 एकड़ जमीन शेष बच रही है जो उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है। आवेदक द्वारा भूमि विक्रय के जो कारण बताए गए हैं उन्हें देखते हुए तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है बल्कि क्रेता द्वारा उसे कलेक्टर ग्राइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है, आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अडचन प्रतीत नहीं होती है। अतः कलेक्टर, कटनी द्वारा इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 24-7-17 निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम चरगवां पटवारी हल्का नं० 37 (हरई) रा०नि०मं० बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं० 35/2 रकबा 0.800 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य/अनावेदकगण को विक्रय करने की अनुमति इन शर्तों के</p>	

सुखलाल कुसरे विरुद्ध 1-सिद्धार्थ कुमार खरे एवं अन्य

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी/2807/2018/जबलपुर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>साथ प्रदान की जाती है कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा विक्रयपत्र के निष्पादन के समय प्रचलित कलेक्टर गाइड-लाइन एवं बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की दर से भूमि का मूल्य आवेदकगण को अदा किया जायेगा। उप पंजीयक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।</p> <p>परिणामस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हों।</p> <p>(३)</p>	<p>(एम. गोपाल रेड़ी)</p> <p>प्रशासकीय सदस्य</p>

सुखलाल कुसरे विरुद्ध 1- सिद्धार्थ कुमार खरे एवं अन्य

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 2807/2018/जबलपुर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-8-18	<p>आवेदक की ओर से अधिरो श्री के0के0 द्विवेदी द्वारा धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम चरगां स्थित भूमि खसरा नं0 29/2 रकबा 1.200 हैक्टर एवं खसरा नं0 35/2 रकबा 0.800 हैक्टर भूमि को विक्रय किए जाने की अनुमति दिए जाने हेतु आवेदन-पत्र दिया गया था और इसका उल्लेख उन्हांन निगरानी आवेदन में भी किया है परंतु इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-7-18 में टंकण की त्रुटिवश खसरा नं0 29/2 रकबा 1.200 का उल्लेख नहीं हो पाया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा आदेश में तदनुसार संशोधन किये जाने का निवेदन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि प्रकरण के अवलोकन से होती है। अतः न्यायहित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 11-7-19 में पैरा-3 पृष्ठ 2 की चौथी एवं चौबीसवीं लाइन में <u>खसरा नं0 35/2 रकबा 0.800 हैक्टर</u> के स्थान पर खसरा नं0 29/2 रकबा 1.200 एवं खसरा नं0 35/2 रकबा 0.800 हैक्टर पढ़ा जाये। यह आदेश मूल आदेश का अंग रहेगा।</p> 	